राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अवमाना याचिका संख्या :– 12/2021
अपील संख्या :– 323/2023

रतनी देवी –अपीलार्थी

बनाम

महा निदेशक पुलिस, मुख्यालय, जयपुर, राजस्थन एवं अन्य।

– प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :– 23.11.2023

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

पत्रावली पेश हुई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सी पी त्रिवेदी अनुपस्थित।

राजकीय अधिवक्ता श्री राजेन्द्र दाधिच उपस्थित।

प्रस्तुत अवमानना याचिका अधिकरण द्वारा अपील संख्या 100/2020 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2021 की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किए जाने के कारण प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि माननीय अधिकरण के आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2021 की अनुपालना में अपीलार्थी को आरमोरर बेसिक कोर्स बैंच संख्या 2022/23 में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। जवाब के साथ उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आरमोरर बेसिक कोर्स में भाग लेने हेतु अपीलार्थी को मनोनीत किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2022 को उक्त प्रशिक्षण हेतु राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में उपस्थित थी और प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् दिनांक 31.05.2023 को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण जोधपुर से अपीलार्थी को रवानगी दी गई।

उक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश की समुचित पालना की जा चुकी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश की अवमानना किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः प्रत्यर्थीगण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य